



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112021-231213
CG-DL-E-17112021-231213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654]
No. 654]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16, नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 803(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के नियम 19 में,-

- (i) उप-नियम (1) में, "संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर "अपर सचिव" शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उप-नियम (2), खंड (ख), उप खंड (ii) में, "स्तर-13 (रु. 1,23,100 - 2,15,900)" शब्दों, अंकों, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान पर "स्तर-14 (रु. 1,44,200-2,18,200)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2-1-/2020-एस.डी.वी.]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में सा.का.नि. सं. 738 (अ), तारीख 12 सितम्बर, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 34 (अ), तारीख 19 जनवरी, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2021

G.S.R. 803(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, namely:-

- (1) These rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Second Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

In the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Rules, 2003, in rule 19,-

- (i) in sub-rule (1), for the words "Joint Secretary" the words "Additional Secretary" shall be substituted.
- (ii) in sub-rule (2), in clause (b), in sub clause (ii), for the word, figure, brackets and letters "level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)" the word, figures, brackets and letter "level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)" shall be substituted.

[F. No. 2-1/2020-SD.V]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) by G.S.R. 738(E), dated the 12th September, 2003 and last amended *vide* G.S.R. 34(E), dated the 19th January, 2021.